

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2023/45

दिनांक:-24/4/23

कार्यालय आदेश

कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों एवं वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान को मध्यनजर रखते हुए ई-बिड सबमिशन/बुधवार नीलामी उत्सव एवं लॉटरी द्वारा नगद भुगतान पद्धति पर आवंटित आवासों/फ्लैटों के आवंटन को नगद भुगतान पद्धति से किराया क्रय पद्धति (किशतों) में दिनांक 31-03-2023 तक परिवर्तित करने की स्वीकृति मण्डल द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2023/977 दिनांक 20-02-2023 के द्वारा प्रदान की गयी थी।

राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि दिनांक 30-09-2023 तक बढ़ाये जाने के फलस्वरूप पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2023/977 दिनांक 20-02-2023 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार मण्डल द्वारा ई-बिड सबमिशन/बुधवार नीलामी उत्सव एवं लॉटरी द्वारा नगद भुगतान पद्धति पर आवंटित किये गये आवासों/फ्लैटों के आवंटन को नगद भुगतान पद्धति से किराया क्रय पद्धति (किशतों) में परिवर्तित करने की अवधि दिनांक 30-09-2023 तक बढ़ायी जाती है। जिसमें खुली नीलामी के द्वारा बेची गयी सम्पत्तियां (आवासीय/व्यावसायिक) शामिल नहीं होगी।

उक्त आदेश को समक्ष स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ :-

- 1- निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 2- निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि/मुख्य राजस्व अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 3- मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 4- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर/जोधपुर।
- 5- अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक, रा0आ0म0 जयपुर।
- 6- उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 7- उप आवासन आयुक्त, वृत्त-....., रा0आ0म0, (समस्त)
- 7- आवासीय अभियन्ता, खण्ड-....., रा0आ0म0, (समस्त)
- 8- संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
- 9- प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
- 10- प्रभारी अधिकारी, मार्केटिंग सेल, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 11- रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक